न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA095 Mrigendra Singh Vs LRs of Mahendrasingh etc

मृगेन्द्रसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह राजपूत
निवासी देवीसागर कृषि फार्म, सिविल एयरपोर्ट के पास,
पाबुपुरा, जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. स्व. महेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत के कायममुकामान--
   a. श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी स्व. महेन्द्रसिंह राजपूत निवासी घोडा फार्म, बासनी बाघेला, पाली रोड, जोधपुर
   b. श्रीमती कीर्ति ऋषि पुत्री स्व. महेन्द्रसिंह पत्नी कैप्टन पृथ्वीराज ऋषि राजपूत निवासी घोडा फार्म, बासनी बाघेला, पाली रोड, जोधपुर
   c. हयग्रीवसिंह पुत्र स्व. महेन्द्रसिंह राजपूत निवासी घोडा फार्म, बासनी बाघेला, पाली रोड, जोधपुर
2. श्रीमती सुशीला कुमारी पत्नी स्व. सज्जनसिंह पुत्री स्व. मोहनसिंह राजपूत के कायममुकामान --
   a. हिम्मतसिंह पुत्र स्व. सज्जनसिंह राजपूत, निवासी देवी कुंज, कलेक्टर बंगले के सामने, जोधपुर
   b. सुर्यभानसिंह पुत्र स्व. सज्जनसिंह राजपूत, निवासी देवी कुंज, कलेक्टर बंगले के सामने, जोधपुर
   c. हिम्मत कुमारी पुत्री स्व. सज्जनसिंह राजपूत, निवासी देवी कुंज, कलेक्टर बंगले के सामने, जोधपुर
3. प्रेमकंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह पुत्री स्व. मोहनसिंह राजपूत निवासी देवी कुंज, कलेक्टर बंगले के सामने, जोधपुर
4. शीतल कुमारी पत्नी जसवन्तसिंह पुत्री स्व. मोहनसिंह राजपूत निवासी देवी कुंज, कलेक्टर बंगले के सामने, जोधपुर
5. मानकंवर पत्नी विभुतोषसिंह पुत्री स्व. मोहनसिंह राजपूत निवासी देवी कुंज, कलेक्टर बंगले के सामने, जोधपुर
6. सरोजनी कुमारी पत्नी स्व. नरेन्द्रसिंह भाटी राजपूत, निवासी देवी सागर कृषि फार्म, सिविल एयर पोर्ट रोड, पाबुपुरा, जोधपुर
7. राधिका पुत्री स्व. नरेन्द्रसिंह भाटी राजपूत, निवासी देवी सागर कृषि फार्म, सिविल एयर पोर्ट रोड, पाबुपुरा, जोधपुर
8. ज्योतिका पुत्री स्व. नरेन्द्रसिंह भाटी राजपूत, निवासी देवी सागर कृषि फार्म, सिविल एयर पोर्ट रोड, पाबुपुरा, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश दिनांक 09 जुलाई 2019 सहायक कलेक्टर जोधपुर राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 45/2019 मृगेन्द्रसिंह बनाम महेन्द्रसिंह

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री पी.आर.एस. बालोत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक के कायममुकामान की ओर से

श्री जोगसिंह भाटी, अधिवक्त-रेस्पो. संख्या 2/2, 3 व 5

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या नौ शेष रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 14.01.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो.-वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या चार रकबा 40 बीघा 07 बिस्वा बारानी अव्वल वाके मौजा भिचरली पटवार हळका डिगाडी में स्वयं का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से चार का 1/6 हिस्सा जाहिर करते हुए तदनुसार विभाजन किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया, जो वाद संख्या 397/2011 दिनांक 21 मई 2019 को निर्णित करते हुए एक पक्षीय डिक्री जारी की गयी, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स को जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष <u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी</u> प्रस्तुत किया जो दिनांक 09 जुलाई 2019 को आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए आदेश दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया कि अपीलाण्ट्स मूल वाद में आगे की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी आंशिक तौर पर स्वीकार करने में गम्भीर त्रुटि की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद की कार्यवाही में अपीलाण्ट-प्रतिवादी जबाब एवं साक्ष्य सुनवाई के अवसर से वंचित हो गये, ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र आंशिक तौर पर स्वीकार कर वाद में आगे की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि वाद दर्ज होकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। सामान्य प्रकिया से नोटिसों की तामील नहीं होने पर रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 13 जुलाई 2012 को जारी किये गये और पावती रसीद का इंतजार किया गया। पावती के इंतजार में तारीख पेशी तब्दील होती रही और 19 सितम्बर 2012 को रेस्पो.-वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष <u>प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड एडी डाक से भिजवाये जाने के संबंधित पोस्टल रसीदात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की</u>, मगर पावती पेश नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वास प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश दिनांक 16 मई 2019 पारित करने में विधिक त्रुटि की है और उसके बाद दिनांक 21 मई 2019 को प्रतिवादीग के खिलाफ इकतरफा निर्णय एवं डिकी पारित करने में विधिक भूल गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. का तर्क है कि प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी से भेजे जाने हेतु 13 जुलाई 2012 की आदेशिका के अनुसार निर्देश दिये गये। जिसकी पालना में 19 सितम्बर 2012 की आदेशिका अनुसार पोस्टल रसीदात पेश की गयी, जो रसीदात 14 जून 2012 की उपलब्ध है। उक्त आदेशिका के अनुसार कोई भी प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को एक अवसर और देते हुए पत्रावली वास्ते तामील प्रीन्यूम्सन दिनांक 2 नवम्बर 2012 निर्धारित की गयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित समय व्यतीत होने के बाद ही अपीलाण्ट के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है। तामील के संबंध में सीपीसी के प्रावधानों का पालना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है। अतः इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मई 2019 को प्रतिवादी के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही किये जाने बाबत पारित आदेश एवं उसके बाद इकतरफा निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। इसके बाद वादी पक्ष की साक्ष्य सुनवाई के बाद दिनांक 21 मई 2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत न्यायिक प्रकिया के अनुरूप ही समस्त कार्यवाही की गई है। अतः अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया, जिससे पाया जाता है कि प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी से भेजे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गये सम्मनों की पोस्टल रसीदात 19 सितम्बर 2012 की आदेशिका अनुसार पेश की गयी। जो रसीदात 14 जून 2012 की उपलब्ध है। उक्त आदेशिका के अनुसार कोई भी प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को एक अवसर और देते हुए पत्रावली वास्ते तामील प्रिजम्पसन दिनांक 2 नवम्बर 2012 निर्धारित की गयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित समय व्यतीत होने के बाद ही बाद संतुष्टि नियमानुसार अपीलाण्ट के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है। तामील के संबंध में सीपीसी के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है। अतः इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मई 2019 को प्रतिवादी के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही किये जाने बाबत पारित आदेश एवं उसके बाद इकतरफा निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी जाती है। इसके बाद वादी पक्ष की साक्ष्य सुनवाई के बाद दिनांक 21 मई 2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया, उसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी जरिये अपीलाधीन आदेश आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए प्रार्थी को वाद की आगे की कार्यवाही में सम्मिलित होने बाबत अनुमत किया है। लिहाजा इससे प्रकरण में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखने हेतु हकदार बन जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 09 जुलाई 2019 में अदालत हाजा को कोई विधिक प्रावधानों संबंधी त्रुटि अथवा अनियमितता नजर नहीं आती है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 जुलाई 2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 14/1/2020.

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर